# HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endt No. B/3954/ III-6-5/2010 Jabalpur, dt 07/08/2018

The Copy of order issued by Police Headquarter M.P. Bhopal in compliance of the orders passed in W.P.(Civil)76/2018 Alakh Alok Shrivastava Vs. Union of India & ors. dated 01-05-2018 in respect of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 is forwarded to the District & Sessions Judges ....................................(all in the State) for circulating the same amongst Judicial Officers posted under their control.

Encl:- As above.

01.08.18
(SANAT KUMAR KASHYAP)
REGISTRAR(DE)

:-:

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRAGAD, BHOPAL - 462 008
Tel: 0755–2443568 (office)/Fax 0755–2550367
email- MPCAW@mppolice.gov.in

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W–2 / WP-05 / 18/3859/2018 दि:– 5/07 / 18
प्रति,

रजिस्ट्रार (डी.ई)
मा. उच्च न्यायालय जबलपुर,
मध्य प्रदेश

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन (सिविल) 76 / 2018 अलख आलोक श्रीवास्तव विरूद्ध भारत सरकार में पारित निर्णय में जारी दिशा निर्देशों के परिपालन के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. D/3299/III-6-5/ 2010 Jabalpur, Dated 07.05.18

––––00––––

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 76 / 2018 अलख आलोक श्रीवास्तव विरूद्ध भारत सरकार दिनांक 01.05.2018 में पारित निर्णय में जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरणों की उचित विवेचना एवं विचारण साक्षियों की नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु राज्य, जोन एवं जिला स्तरीय **"स्पेशल टास्क फोर्स"** का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से उक्त प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जावेगी।

कृपया पालन प्रतिवेदन आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR.
18 JUL 2018
Reg No 22086
Receipt Clerk
High Court

## //पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल//

## :: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 76/2018 अलख अलोक श्रीवास्तव विरूद्व भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय के पैरा 23(5) में दिए गए निर्देश के पालन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरणों में उचित विवेचना एवं विचारण में साक्षियों के नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थिति हेतु निम्नानुसार स्पेशल टास्क फोर्स (विशेष कर्मी दल) का गठन किया जाता है।

**(1) राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स**

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)-- समन्वयक
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(अ.अ.वि)-- सदस्य
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक( रा.अ.अ.ब्यूरो)-- सदस्य
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( गुप्तवार्ता)-सदस्य
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(रेल)- सदस्य
6. संचालक लोक अभियोजन के प्रतिनिधि- (सदस्य)

नोट-- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि.,रा.अ.ब्यूरो, गुप्तवार्ता के अनुपलब्ध रहने पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी इसके सदस्य रहेंगे।

**(2) जोन स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स (विशेष कर्मी दल)**

1. जोन पुलिस महानिरीक्षक-- (अध्यक्ष)
2. पुलिस उप महानिरीक्षक -- (सदस्य)
3. जोन उप पुलिस महानिरीक्षक म.अप.--(सदस्य)
4. जिला पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक रेल - (सदस्य)
5. जिला उप संचालक लोक अभियोजन अधिकारी/विधि सलाहकार-- (सदस्य)

**(3) जिला स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स (विशेष कर्मी दल)**

1. जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक रेल- (अध्यक्ष)
2. जिला लोक अभियोजन अधिकारी-(सदस्य)
3. जिले के अति.पु.अ./अति.पु.अ. रेल/उ.पु.अ/उ.पु.अ रेल--(सदस्य)
4. जिला जी.आर.पी. पुलिस अधीक्षक के अधीन समस्त थाना प्रभारी -(सदस्य)

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

PTO

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरणों के संबंध में स्पेशल टास्क फोर्स (विशेष कर्मी दल) द्वारा निम्न निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(1) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरणों की विवेचना की गति एवं गुणवत्ता की मासिक समीक्षा। (30 दिन से अधिक विवेचना में लंबित प्रकरणों एवं बरी हुए प्रकरणो की समीक्षा सम्मिलित है)

(2) ट्रायल न्यायालय से बरी हुए प्रकरणो/विवेचना या अभियोजन पर विपरीत टीका प्रकरणों में शासन आदेश क्र. एफ 21/16/2014/दो/बी 1 दिनांक 31/12/2014. के द्वारा गठित समिति को माह में प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की समीक्षा।

(3) प्रकरणों के विचारण के दौरान साक्षियों को निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित करने के लिए किये गये प्रयास एवं इनके परिणाम की मासिक समीक्षा।

(4) जोन महानिरीक्षक **संलग्न प्रोफार्मानुसार** जिलो से जानकारी प्राप्त कर, समीक्षा कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक पु.मु.महिला अपराध को जानकारी हार्ड कॉपी एवं E-mail id mpcaw@mppolice. gov.in पर भेजेंगे।

(5) जिले में यह समीक्षा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कर ली जावेगी और प्रतिवेदन जोनल महानिरीक्षक को भेज दी जावेगी।

क्र0/पुमु/अमनि/ म0अप0/3764/18/W-2/05/18 दिनांक 30/6/18

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश भोपाल।
(2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अअवि, गुप्तवार्ता, रेल, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों ।
(3) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
(4) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध मध्यप्रदेश।
(5) समस्त जोनल उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
(6) उप.पुलिस महानिरीक्षक शहर भोपाल एवं इन्दौर।
(7) समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक रेल मध्यप्रदेश।
(8) समनि I समनि II एवं डी.डी.पी. महिला अपराध शाखा पु.मु. भोपाल।
(9) स्थापना खण्ड I गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय, भोपाल